

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल 2020 — चैत्र 19, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

अधिसूचना
सं. 30/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(50).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 03 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त माने जाएंगे।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (3) में, 31 मार्च, 2020 से, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना को जून, 2020 के 30वें दिन या उससे पूर्व तक फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3 में विवरण जुलाई, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करेगा।”

- उक्त नियमों के, नियम 36 के उप-नियम (4) में, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सितंबर, 2020 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणनी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(50).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(50), दिनांक 08-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th April 2020

NOTIFICATION
No. 30/2020 – State Tax

No. F 10-39/2020/CT/V(50).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2020.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall deemed to have come into force from 3rd April 2020.
2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 31st March, 2020, in sub-rule (3) of rule 3, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that any registered person who opts to pay tax under section 10 for the financial year 2020-21 shall electronically file an intimation in FORM GST CMP-02, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation State notified by the Commissioner, on or before 30th day of June, 2020 and shall furnish the statement in FORM GST ITC-03 in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 upto the 31st day of July, 2020.”.

3. In the said rules, in sub-rule (4) of rule 36, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in FORM GSTR-3B for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

अधिसूचना
सं. 31/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(51).— सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर क्रमांक एफ-10-44/2017/वाक/पांच(87) दिनांक 29 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र(असाधारण) क्रमांक 256 तारीख 29 जून 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र.सं. (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	ब्याज की दर (3)	कर अवधि (4)	शर्त (5)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च, 2020 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(51).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(51), दिनांक 08-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th April 2020

NOTIFICATION
No. 31/2020 – State Tax

No. F 10-39/2020/CT/V(51).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Chhattisgarh Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 13/2017-State Tax, No. F-10-44/2017/CT/V(87) dated the 29th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 256 dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in FORM GSTR-3B, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due

date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:--

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Rate of interest (3)	Tax period (4)	Condition (5)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29th day of June, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
			March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6th day of July, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

अधिसूचना

सं. 32/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(52).— सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 76/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-65-2018/वाक/पांच(123) दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 523 तारीख 31 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अवधि है:— ,

तालिका

क्र.सं. (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	शर्त (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।”।

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(52).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(52), दिनांक 08-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th April 2020

NOTIFICATION

No. 32/2020 – State Tax

No. F 10-39/2020/CT/V(52).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 76/2018-State Tax, No. F-10-65/2018/CT/V(123) dated the 31st December, 2018, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 523 dated the 31st December, 2018, namely:—

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in FORM GSTR-3B by the due date, but furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Condition (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	February, 2020 and March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29th day of June, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6th day of July, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

अधिसूचना

सं. 33/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(53).— सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 04/2018-राज्य कर क्रमांक एफ-10-2/2018/वाक/पांच(3) दिनांक 24 जनवरी, 2018 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 31-अ तारीख 25 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के महीनों और 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त हो जाएगी, जो उक्त मास/तिमाही के लिए देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।”।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(53).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच (53), दिनांक 08-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th April 2020

NOTIFICATION

No. 33/2020 – State Tax

No. F 10-39/2020/CT/V(53).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 4/2018-State Tax, No. F-10-2/2018/CT/V(3) dated the 24th January, 2018, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 31-अ dated the 25th January, 2018, namely:—

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the months of March, 2020, April, 2020 and May, 2020, and for the quarter ending 31st March, 2020, for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the said periods in FORM GSTR-1 by the due date, but furnishes the said details in FORM GSTR-1, on or before the 30th day of June, 2020.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

अधिसूचना

सं. 34/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(54).— सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 21/2019-राज्य कर क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच(46) दिनांक 23 अप्रैल, 2019 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 131 तारीख 24 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) दूसरे अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 के तहत प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।” ;

(ii) तृतीय अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई 2020 के 15 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।” ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(54) – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(54), दिनांक 08-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th April 2020

NOTIFICATION

No. 34/2020 – State Tax

No. F 10-39/2020/CT/V(54).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 21/2019-State Tax, No. F-10-19/2019/CT/V(46) dated the 23th April, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 131 dated the 24th April, 2019, namely:—

In the said notification, -

(i) in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.”;

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that the said persons shall furnish the return in FORM GSTR-4 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

अधिसूचना

सं. 36/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(55).— आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 29/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-35-2020/वाक/पांच(45) दिनांक 31 मार्च, 2020 प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक का होने वाले करदाताओं के लिए, मई, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 27 जून, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में है, मई, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 12 जुलाई, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 8 अप्रैल 2020

क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(55).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-39/2020/वाक/पांच(55), दिनांक 08-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 8th April 2020

NOTIFICATION

No. 36/2020 – Central Tax

No. F 10-39/2020/CT/V(55).— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said Rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 29/2020-State Tax, No. F-10-35/2020/CT/V(45) dated the 31st March, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crore rupees in the previous financial year, the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the month of May, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 27th June, 2020:

Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the month of May, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 12th day of July, 2020:

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.